संख्या-413/2025/672/22-2-2023-17(1276)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 07 मई, 2025

विषयः- जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मंजू देवी पत्नी श्री विजय कुमार मिश्रा, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15-11-2023, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी मंजू देवी पत्नी श्री विजय कुमार मिश्रा, निवासी-जशनपुर, थाना-कांट, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। महिला बंदी द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित किये जाने के कारण दिनांक 16.10.2015 को महिला बंदी ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर अपनी पुत्रवधू की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-269/2016 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 29.07.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 02.08.2022 तक 06 वर्ष 07 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 05 माह 23 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि जेल रिपोर्ट के अनुसार महिला बन्दी की उम्र 56 वर्ष एवं महिला बन्दी द्वारा अपरिहार 06 वर्ष, 07 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 05 माह 23 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर दवारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मंजू देवी (बन्दी संख्या-251/2019) पत्नी श्री विजय कुमार मिश्रा, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-413/2025/672(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, शाहजहांपुर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।